न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 10/2017

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 तुलसाराम पुत्र शंकरलाल जाति सरगरा निवासी सेसली तहसील बाली		1 श्रीमति छोगीबाई पत्नि गुलाबराम जाति मेघवाल निवासी सेसली तहसील बाली 2 ग्राम पंचायत सेसली जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री प्रेमसिंह राठौड़, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 19/9/2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सेसली द्वारा मिसल संख्या 23/1986 में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। नियत तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नही हुए, लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है, उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी करना बताया है, जिसमें मिसल संख्या 23 अंकित किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा न तो मिसल तैयार की गई, न ही किसी प्रकार का प्रस्ताव लिया गया। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा न तो अप्रार्थी संख्या 1 से आवेदन पत्र प्राप्त किया, न मौका निरीक्षण शुल्क एंव आवेदन शुल्क जमा किया। तीन वार्ड पंचों की कमेटी मनोनीत नही की। अस्थाई निर्णय नही लिया गया तथा न ही किसी प्रकार से आपत्तियां आमन्त्रित की गई। किसी भी गवाह के बयान नही लिये गये तथा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए सरपंच एवं ग्राम सेवक ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत करते हुए आम रास्ता एवं पडत भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी पट्टा अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत सेसली ने अपने पत्र दिनांक 31.05.2017 के जरिये अवगत कराया कि प्रकरण में वर्णित बैठक कार्यवाही विवरण एवं मिसल संख्या 23/1986 ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नही है। जैर निगरानी पट्टे का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। उक्त नियम के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान दर्शित किया गया है। नियम 266 (घ) में यह स्पष्ट अंकित है कि "जहां किन्ही व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्षो अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षो से कम का है, वहां विद्यमान बाजार कीमत का एक तिहाई भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है, वहॉ विद्यमान बाजार दर का ढठा भाग प्रभारित (वसूल) किया जावेगा।" जैर निगरानी पट्टा पर निःशुल्क अंकित किया गया है तथा पट्टे के अवलोकन से भी स्पष्ट उक्त पट्टा हेतु भूमि का कोई मूल्य प्रभारित नही किया गया है। इस प्रकार जैर निगरानी पट्टा नियम 266 के प्रावधानों के अन्तर्गत विधि सम्मत नही पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सेसली द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 31.12.1986 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत सेसली को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 19/9/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली